फर्द अहकाम

हेमचन्द सैनी बनाम पारस व अन्य

संख्या / वर्ष दावा : 45 / 2021

नांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
7/9/22	पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। काफी अदालत वादी व उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगवाई गई। उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर जिला जज से कम हो बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (दक्षिण)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.01.11 16:01:36 IST
Reason: SelfAttested